



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31052022-236157
CG-MH-E-31052022-236157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944

No. 278]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISHTHA 10, 1944

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 10 मार्च, 2022

डीओआर. एमओएन /4347/12.22.156/2021-22.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (इसके बाद “द आरबीआई अधिनियम” से संबोधित) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्वारा, द मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ गोआ लिमिटेड, को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाए जाने का निर्देश देता है।

जयन्त कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./93/2022-23]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th March, 2022

DOR.MON/4347/12.22.156/2021-22.—In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (hereinafter referred to as “the RBI Act”), the Reserve Bank of India, hereby, directs the exclusion of The Mapusa Urban Co-operative Bank of Goa Ltd. from the second schedule of the RBI Act.

JAYANT KUMAR DASH, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./93/2022-23]